संख्या : 1501 /V-1/28(NL)/2015(TC)/2025

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— मण्डलायुक्त
गढवाल/कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।
2— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
3— उपाध्यक्ष,
मसूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून/हरिद्वार—रुड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

आवास अनुभाग—1

देहरादूनः दिनांकः 16 अप्रैल, 2025।

विषयः राज्य में नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य में पूर्ववर्ती नजूल नीति, 2009 के सम्बन्ध में जनहित रिट याचिका संख्या—132/2013, In reference Nazul Policy of the State for Disposing & Management of Nazul land बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, जनहित रिट याचिका संख्या—173/2015 रामबाबू बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा जनहित रिट याचिका संख्या—142/2016 रवि जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांकः 19.06.2018 को पारित आदेश के विरुद्व राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका डायरी संख्या—(सी)233/2019(विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—4692/2019) मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दाखिल की गयी, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 03—12—2021 को मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांकः 19.06.2018 को पारित आदेश को स्थगित (स्टे) कर दिया गया। वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका लम्बित/विचाराधीन है।

2. तत्क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में राज्य में प्रचलित नजूल नीति, 2021 को लागू/प्रभावी रहने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या—184021/V-1/2022/ई—48489/2024, दिनांकः 22 जनवरी, 2024 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या—1031(एम0एस0)/2025 दर्शन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांकः 16 अप्रैल, 2025 को मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड की सिंगल बैंच में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर राज्य सरकार का पक्ष रखा, जिसके कम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को आदेशित किया गया कि राज्य की समस्त नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाय।

CamScanner

3. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका डायरी संख्या–(सी)233/2019(विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–4692/2019) विचाराधीन होने के दृष्टिगत दिनांकः 16 अप्रैल, 2025 को मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड की सिंगल बैंच द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में राज्य में समस्त नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

अतः तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 1501(1)/V-1/28(NL)/2015(TC)/2025–तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

CamScanner